सख्या–692/उन्तीस(2)11–2(24पे0)/2006

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता
राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन
उत्तराखण्ड।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 25 मई, 2011

विषयः **जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड द्वाराहाट की बग्वाली पोखर ग्राम समूह पेयजल योजना की चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में वाह्य सहायतित स्वैप कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 198/SWSM DPR/2009–10 दिनांक 20 अगस्त 2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड द्वाराहाट की बग्वाली पोखर ग्राम समूह पेयजल योजना के स्वैप कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये प्राक्कलनों अनु0लागत ₹ 119.51 लाख पर टीएसी वित्त के परीक्षणोपरान्त औचित्यतपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹ 91.91 लाख (₹ इक्यानबे लाख इक्यानबे हजार मात्र) की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति के साथ ही **वित्तीय वर्ष 2010–11 में सैक्टर कार्यक्रम के कियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या संख्या 312/उन्तीस(2)/11–2(37पे0)/08 दिनांक 18 मार्च 2011 एंव शासनादेश संख्या 436/उन्तीस(2)/11–2(37पे0)/08 दिनांक 29 मार्च 2011 द्वारा प्रबन्ध निदेशक पेयजल निगम के पक्ष में अवमुक्त कुल ₹ 35.00 करोड़ में से** चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में वाह्य सहायतित कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

2– कार्य की समयबद्वता एवं गुणवत्ता हेतु पेयजल निगम के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

3– कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के सक्षम स्तर की अधिकारी द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरो के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार कराया जाना आवश्यक होगा।

4– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधित स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी राशि स्वीकृत की गयी है।

6– एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

7– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

8– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एंव भूगर्भवेता से कार्य स्थल का भलीभॉति अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

9– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

कमशः..2

10– स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा जिनके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी भी दशा में अन्य योजनाओं पर व्यय नहीं किया जायेगा।

11– योजनाओं की स्वीकृत लागत में किसी प्रकार का सेन्टेज देय नहीं होगा।

12– व्यय करने से पूर्व जिन मामलो में बजट मैनुअल/फाईनेन्शियल हैण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी। निर्माण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगणनों पर प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टेक्निकल स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

13– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जायेगी एंव कार्यदायी संस्था के रूप में प्रबन्ध निदेशक इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

14– व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्त नियमावली एवं अन्य तदविषयक नियमों का अनुपालन किया जाय।

15– मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.06 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करें।

16– वाह्य सहायतित कार्यक्रम (स्वैप) के अन्तर्गत उक्त सन्दर्भित शासनादेशों दिनांक 18 मार्च 2011 एंव 29 मार्च 2011 द्वारा प्रबन्ध निदेशक पेयजल निगम के पक्ष में अवमुक्त कुल ₹ 35.00 करोड के विपरीत अद्यतन तिथि तक व्यय का विवरण, अवशेष का विवरण, व्यय के विपरीत कितनी लागत का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया गया है, का विवरण तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाय।

17– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–124/XXVII(2)/2011, दिनांक 23 मई 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या–692(1)/उन्तीस(2)/11–2(24पे0)/2006, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मा0 पेयजल मंजी जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2–स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
3–निजी सचिव–प्रमुख सचिव पेयजल को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4–महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
5– आयुक्त, कुमायूँ मण्डल।
6–जिलाधिकारी, देहरादून
7–वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8–निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, ई0सी0 रोड, देहरादून।
9–निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10–निदेशक, स्वजल परियोजना उत्तराखण्ड, देहरादून ।
11–प्रभारी प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून
12–मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
13–अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम सम्बन्धित जनपद।
14–वित्त अनुभाग–2/राज्य योजना आयोग/वित्त बजट सैल।
15–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव